न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी	:	**रेशमा खान (आर.जे.एस.) जिला न्यायाधीश संवर्ग**
सेशन प्रकरण संख्या	:	12/2018
सीएनआर नंबर	:	**RJSM070002682018**

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी **परिवादी**

ब ना म

करणसिंह पुत्र भूरालाल निवासी पीपली का पुरा काला खाना पी.एस. सदर हिण्डौन सिटी जिला करौली राज. **अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 366, 376D भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:

1. श्री घनश्याम सिंह, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2. श्री रूपसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय:: **दिनांक** 15.07.2026

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 61 दिनांक 28.03.2024 द्वारा यह प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी से अन्तरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने पुलिस थाना वजीरपुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 26.12.2017 को उसकी पुत्री पीडिता अपने खेत पर से घर जा रही थी, शाम करीब चार बजे अचानक रास्ते में मोटरसाईकिल पर आमोद तथा उसके साथ एक लडका और था जो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा हुआ था ने प्रार्थी की लडकी को चाकू अडाकर उसे जान से मारने की धमकी देकर मोटरसाईकिल पर बीच में बैठाकर ले गये और रात भर उन्होने लडकी को कहीं रखा और सुबह उसकी पुत्री को गंगापुर सिटी स्टेशन पर छोड दिया लडकी के साथ रात्रि में जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई व्यक्तियों ने बारी–बारी से बलात्कार किया ....इत्यादि

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना वजीरपुर में एफ.आई.आर.246/2017 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 डी भा.दं.सं. में अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद

अनुसंधान चालान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 366, 376 डी भा.दं.सं. में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य होने के कारण कमिट होकर न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. दिनांक 12.02.2018 को अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376 डी भा.दं.सं. का आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से पी.ड.1 संतोष, पी.ड.2 पीडिता की माता, पी.ड.3 पीडिता का पिता, पी.ड.4 पीडिता, पी.ड.5 रघुपतसिंह, पी.ड.6 डा.विशाल कुमार मंगल, पी.ड.7 दरबसिंह, पी.ड.8 कैलाशी, पी.ड.9 सुरेन्द्रसिंह, पी.ड.10 गौरवसिंह, पी.ड.11 रामबाबू, पी.ड.12 कैलाशचंद, पी.ड.13 ओमेन्द्र कुमार, पी.ड.14 परसराम, पी.ड.15 बबलूराम, पी.ड.16 कप्तानसिंह, पी.ड.17 नरेन्द्र कुमार व पी.ड.18 अशोक पवार परीक्षित कराये गये।

06. दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्र.पी.1, पुलिस बयान संतोष कुमार प्र.पी.2, पुलिस बयान कमला प्र.पी.3,प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4, चाक एफआईआर प्र.पी.5, पुलिस बयान नत्थूसिंह प्र.पी.6, मेडीकल मुआयना पीडिता प्र.पी.7, बयान धारा 164 दं.प्र.सं. पीडिता प्र.पी.8, पुलिस बयान दरबसिंह प्र.पी.8, पुलिस बयान कैलाशी प्र.पी.9, पुलिस बयान पीडिता प्र.पी.9, फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्र.पी.10, फर्द जब्ती सील्डशुदा पैकेट प्र.पी.10, फर्द निरीक्षण एवं हालात मौका तृतीय प्र.पी.11, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त करणसिंह प्र.पी.12, फर्द जब्ती एवं बरामदगी मोबाईल प्र.पी.13, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्र.पी.14, एफएसएल प्राप्ति रसीद प्र.पी.15, नकल रपट रोजनामचा प्र.पी.16 व 17, पुलिस बयान परसराम प्र.पी.18, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्र.पी.19 ए, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.20 व 21, पुरूषत्व परीक्षण अभियुक्त प्र.पी.22 पेश कर प्रदर्शित करवाये

07. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई गवाहान की साक्ष्य को गलत एवं स्वयं को निर्दोष बताया व कथन किया कि उसे झूठा फंसाया गया है।

08. अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी प्रमाण के द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया है।

09. उक्त तर्कों का विरोध अधिवक्ता अभियुक्त ने यह कहकर किया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रकरण की बतायी गई पीडिता व उसके परिजन पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं, अन्य किसी भी गवाह ने उक्त घटना अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. उभयपक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.12.2017 को दिन के चार बजे ग्राम सेवा से खेत पर जा रही पीडिता का बलपूर्वक अयुक्त संभोग के आशय से अपहरण कर पीडिता को करौली पांचना बांध के जंगल, सालोदा मोड स्थित किराये के मकान में ले जाकर अन्य विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर पीडिता की सहमति के बिना बलपूर्वक संभोग कर सामूहिक बलात्कार किया?

11. साक्ष्य अभियोजन में प्रस्तुत गवाहान निम्न तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं:-

11.1 पी.ड.1 संतोष ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि पीडिता उसकी भतीजी लगती है, उसके साथ कोई वारदात नहीं हुई। नक्शा मौका प्र.पी.1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है, अपर लोक अभियोजक द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने पर की गई जिरह के दौरान यह गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी.2 में अंकित तथ्यों को लिखाने से इनकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त व पीडिता के पिता के मध्य पैसों के लेनदेन का आपसी विवाद व रंजिश थी।

11.2 पी.ड.2 पीडिता की माता ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि पीडिता उसकी बच्ची है, उसके साथ कोई वारदात नहीं हुई। वह व पीडिता खेती बाडी के लिए गये वहां उनकी आपस में कहासुनी हो गई व पीडिता नाराज होकर घर की तरफ आ गयी, जब वह शाम को घर पर आई तो पीडिता नहीं मिली। पीडिता के साथ कोई बलात्कार या गलत काम नहीं हुआ। अपर लोक अभियोजक द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने पर की गई जिरह के दौरान यह गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी.3 में अंकित तथ्यों को लिखाने से इनकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर यह स्वीकार किया है कि पीडिता नाराज होकर बिना बताये रिश्तेदार के यहां चली गई। उसके पति व करणसिह के मध्य पैसों को लेकर विवाद व रंजिश थी।

11.3 पी.ड.3 पीडिता के पिता ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी पुत्री पीडिता एक साल पहले आमोद के साथ मोटरसाईकिल पर चली गई, उसके साथ एक लडका और था। उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर ले गये, रात भर उन्होने लडकी को कहीं रखा व सुबह छोड दिया। उसकी पुत्री के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। उसने थाने पर शिकायत की जो प्र.पी.4 है, प्र.पी.5 चाक एफआईआर है, पुलिस ने प्रथम घटनास्थल बनाया जो प्र.पी.1 है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है व अभियोजन द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि पुलिस बयान प्र.पी.6 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में यह कथन किये हैं कि रिपोर्ट उसके भाई संतोष ने लिखवायी थी, उसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं उसने केवल हस्ताक्षर किये थे। उसकी पत्नी व पीडिता के मध्य झगडा हो गया जिससे नाराज होकर वह आमोद की मोटर साईकिल पर बैठकर गंगापुर सिटी आ गयी। उसके साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया न ही अपहरण किया।

11.4 पी.ड.4 पीडिता ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि वह अपनी मां के साथ खेत

पर गई, उसका माता से झगडा हो गया वह नाराज होकर बिना बताये ताउ मोहनसिंह के पास गंगापुर सिटी आ गई, हाजिर अदालत अभियुक्त ने उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया। उसका बलात्कार बाबत मेडीकल मुआयना हुआ जो प्र.पी.7 है,उसके मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान हुए जो प्र.पी.8 है, पुलिस ने नक्शा मौका प्र.पी.1 बनाया जिन पर उसके हस्ताक्षर है। मोबाईल आर्टिकल 1 है। पीडिता ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है व उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है व अभियोजन द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि पुलिस बयान प्र.पी.9 उसने पुलिस को नहीं दिया, आर्टिकल 1 मोबाईल में वीडियो में पीडिता व अभियुक्त नहीं हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त को वह नहीं जानती है उसने पहली बार देखा है। उसका मां के साथ झगडा हो गया वह नाराज होकर आमोद के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर ताउ मोहनसिंह के यहां गंगापुर सिटी आ गई, वह बिना बताये आ गई। पुलिस व गांव वालों के दबाव में धारा 164 के बयान दिये थे। उसके साथ अभियुक्त ने किसी प्रकार कोई बलात्कार नहीं किया न ही उसकी वीडियो बनायी। उसके पुलिस ने तीन चार खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

11.5 गवाह पी.ड.5 रघुपतसिंह का कथन है कि दिनांक 12.01.2018 को सीओ कार्यालय में हैड कान्स्टेबल तैनात था। उस दिन प्रकरण में रामबाबू एएसआई द्वारा अस्पताल गंगापुर सिटी से चार पैकेट सीलपेक हालत में सीओ के समक्ष पेश किये जिन्हें सीओ ने जरिये फर्द प्र.पी.10 जब्त किया ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

11.6 गवाह पी.ड.6 डा.विशाल कुमार मंगल का कथन है कि दिनांक 29.12.2017 को अस्पताल गंगापुर सिटी में चिकित्साधिकारी कार्यरत था। उस दिन बोर्ड जिसमें उसके साथ डा.अशोक गुर्जर व डा.उषारानी थे पीडिता का बलात्कार बाबत मेडीकल मुआयना कर रिपोर्ट प्र.पी.7 तैयार की सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं ई से एफ डा.अशोक गुर्जर के हस्ताक्षर हैं व जी से एच डा.उषा रानी के हस्ताक्षर हैं ओ से पी बोर्ड की राय है। बोर्ड की राय के अनुसार संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, एफएसएल परीक्षण हेतु सैम्पल लिये गये।

11.7 गवाह पी.ड.9 सुरेन्द्रसिंह का कथन है कि दिनांक 30.12.2017 को पुलिस थाना वजीरपुर में कान्स्टेबल कार्यरत था। उस दिन प्रकरण में अभियुक्त करणसिंह ने घटनास्थल तस्दीक कराया जो प्र.पी.10 है, उसी दिन अभियुक्त ने मकान जिसमें रात भर पीडिता को रखा फर्द निरीक्षण मौका तैयार करवाया जिसकी फर्द प्र.पी.11 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11.8 गवाह पी.ड.10 गौरवसिंह का कथन है कि दिनांक 30.12.2017 को पुलिस थाना वजीरपुर में कान्स्टेबल पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण में उसके सामने अभियुक्त को जरिये फर्द प्र.पी.12 गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा मोबाईल को जरिये फर्द प्र.पी.13 जब्त कराया, अभियुक्त द्वारा घटनास्थल तस्दीक कराया जिसकी फर्द प्र.पी.10 है, अभियुक्त द्वारा जिस मकान में पीडिता को रखा उसका फर्द निरीक्षण मौका तैयार करवाया जो प्र.पी.11 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11.9 गवाह पी.ड.11 रामबाबू का कथन है कि दिनांक 30.12.2017 को सीओ कार्यालय में तैनात था। उस दिन प्रकरण में सीओ साहब द्वारा अभियुक्त को जरिये फर्द प्र.पी.12 उसके

समक्ष गिरफ्तार किया, अभियुक्त का मोबाईल वजह सबूत जरिये फर्द प्र.पी.13 जब्त किया, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। मोबाईल में अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म करते हुए की वीडियो बनी हुई है।

11.10 गवाह पी.ड.12 कैलाशचंद का कथन है कि करीब छह साल पहले उसके सामने पुलिस ने एक मोटरसाईकिल जरिये फर्द प्रपी.14 जब्त की ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

11.11 गवाह पी.ड.13 ओमेन्द्र कुमार का कथन है कि दिनांक 18.01.2018 को थाना वजीरपुर पर कान्स्टेबल कार्यरत था। उस दिन प्रकरण में चार पैकेट सील्डशुदा मालखाना से लेकर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में जमा करवाये जिसकी प्राप्ति रसीद प्र.पी.15 है रोजनामचा की रवानगी प्र.पी.16 व आमद प्र.पी.17 है।

11.12 गवाह पी.ड.15 बबलूराम दिनांक 12.01.2018 को वृत्त कार्यालय गंगापुर सिटी में कार्यरत होने, अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके समक्ष पीडिता से संबंधित चार सील्डशुदा पैकेट रामबाबू एएसआई द्वारा राजकीय अस्पताल गंगापुर से लाकर पेश करने पर जरिये फर्द प्र.पी.10 जब्त करने ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन करता है।

11.13 गवाह पी.ड.16 कप्तानसिंह का कथन है कि दिनांक 30.12.2017 को पुलिस थाना वजीरपुर पर हैड कान्स्टेबल तैनात था। यह गवाह प्रकरण में आईओ द्वारा जब्तशुदा माल को पेश करने पर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करने मालखाना रजिस्टर प्र.पी.19 जिसकी प्रति प्र.पी.19 ए होने का कथन करता है।

11.14 गवाह पी.ड.17 नरेन्द्र कुमार का कथन है कि दिनांक 27.12.2017 को वृत्ताधिकारी गंगापुर सिटी कार्यरत था। उस दिन उसे प्रकरण की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। तरीरी रिपोर्ट प्र.पी.4 व चाकशुदा एफआईआर प्र.पी.5 हैं, जिन पर थानाधिकारी वजीरपुर जितेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर वह पहचानता है। दिनांक 29.12.2017 को पीडिता की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.1 बनाया गया। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडीकल मुायना कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जो प्र.पी.7 है। पीडिता के बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये जो प्र.पी.8 है। रामबाबू एएसआई द्वारा दौराने मेडीकल लिये गये प्रादर्शो के पेकेट पेश करने पर जरिये फर्द प्र.पी.10 जब्त किये। अभियुक्त को जरिये फर्द प्र.पी.12 गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तिला प्र.पी.20 है, इत्तिला अनुसार अभियुक्त द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.10 व 11 बनाये। अभियुक्त की जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन, सिम व मेमेरी कार्ड को जरिये फर्द प्र.पी.13 जब्त किया। अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तिला प्र.पी.21 के क्रम में मोटरसाईकिल जरिये फर्द प्र.पी.14 जब्त की गई। जब्त माल को मालखाना में जमा करवाया। अभियुक्त की पुरूषत्व संबंधी मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली में शामिल की गई। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366, 376 डी भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चालान पेश करने हेतु एसएचओ वजीरपुर को पेश की, चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी जितेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं। मोबाईल जिओनी आर्टिकल 1, मोबाईल सैमसंग आर्टिकल 2, कीपेड सेमसंग मोबाईल आर्टिकल 3, काले रंग का पर्स आर्टिकल 4, पेंटी आर्टिकल 5 व सलवार आर्टिकल 6 है।

11.15 गवाह पी.ड.18 डा.अशोक पवार का कथन है कि दिनांक 29.12.2017 को राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी पर चिकित्साधिकारी कार्यरत था। उस दिन पुलिस

प्रार्थना पर गठित मेडीकल बोर्ड जिसमें उसके साथ डा.उषारानी व डा.विशाल कुमार मंगल थे द्वारा पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडीकल मुआयना किया, बोर्ड की राय के अनुसार संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बलात्कार संबंधी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.7 है ए से बी पीडिता के, सी से डी डा.विशाल मंगल के, ई से एफ उसके, जी से एच डा. उषारानी के हस्ताक्षर हैं ओ से पी मेडीकल राय है। उसके द्वारा दिनांक 31.12.2017 को पुलिस प्रार्थना पर अभियुक्त करणसिंह का पुरूषत्व परीक्षण किया उसकी राय अनुसार मुल्जिम संभोग करने में पूर्ण सक्षम था, पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट प्र.पी.22 है ए से बी करणसिंह के हस्ताक्षर है ई से उसकी राय है।

11.16 गवाह पी.ड.7 दरबसिंह, पी.ड.8 कैलाशी व पी.ड.14 परसराम ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है एवं अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

12. न्यायालय के समक्ष उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार प्रकरण का उद्गम पीड़िता के पिता नाथू द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट (Ex.P-4) से हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 26.12.2007 को लगभग सायं 4:00 बजे उसकी पुत्री पूजा खेत से अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान अभियुक्त आमोद एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति ने उसे रास्ते में रोक लिया, चाकू दिखाकर भयभीत किया, उसे दोनों के बीच मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए तथा उसके साथ बलात्कार किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 366 एवं 376 डी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में कुल 18 मौखिक एवं 22 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन साक्ष्य के परीक्षण से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि स्वयं परिवादी नाथू, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रणेता है, न्यायालय में अपने पूर्व कथन से पूर्णतः विमुख हो गया। उसने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसकी पुत्री आमोद के साथ गई थी, किन्तु उसने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि उसकी पुत्री के साथ किसी प्रकार का बलात्कार नहीं हुआ। स्वयं पीडिता पी.ड.4 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि उसकी मां से झगडा हो जाने के कारण वह नाराज होकर ताउ मोहरसिंह के पास गंगापुर सिटी आ गई। हाजिर अदालत अभियुक्त ने उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया। पीडिता ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है,अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर यह कथन किये हैं कि हाजिर अदालत अभियुक्त को उसने आज पहली बार देखा है। उसके साथ अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई बलात्कार नहीं किया न ही कोई वीडियो बनायी न ही उसे मोटर साईकिल पर बिठाकर लेकर गया। उसके पुलिस ने तीन चार खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस प्रकार पीड़िता ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया तथा न्यायालय में स्पष्ट एवं निर्विवाद शब्दों में कहा कि अभियुक्त करण सिंह ने उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया। इसी प्रकार अभियोजन के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी संतोष (PW-1), कमला (PW-2), दरब सिंह (PW-7), कैलाशी (PW-8) एवं परसराम (PW-14) भी अभियोजन के कथन का समर्थन न करते हुए पक्षद्रोही घोषित किए गए।

12.1 चिकित्सकीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत डॉ. विशाल कुमार मंगल (PW-6), जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे, ने अपने परीक्षण में पीड़िता के शरीर अथवा जननांगों पर किसी प्रकार की बाह्य या आंतरिक चोट का पाया जाना अस्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने यह मत

व्यक्त किया कि सम्भोग की संभावना से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता, तथापि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम अभिमत एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही दिया जा सकता है। अपनी जिरह में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि परीक्षण के समय पीड़िता के शरीर अथवा जननांगों पर किसी प्रकार की आंतरिक अथवा बाह्य चोट विद्यमान नहीं थी। इसके अतिरिक्त कमला (PW-2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि घटना वाले दिन उसका एवं पीड़िता पूजा का आपस में विवाद हुआ था, जिसके कारण पूजा घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहां चली गई थी। उसने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि उसके पति नाथू एवं अभियुक्त करण सिंह साथ में मार्बल का कार्य करते थे तथा दोनों के मध्य पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद एवं शत्रुता थी। गवाह पी.ड.17 नरेन्द्र कुमार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर प्रकरण में किये गये अनुसंधान की ताईद करता है।

13. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के आधार पर घटना स्थल दर्शाए जाने का प्रश्न है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त सूचना के आधार पर मात्र घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 27 के अंतर्गत केवल वही अंश ग्राह्य होता है, जो किसी नवीन तथ्य की खोज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। अभियुक्त द्वारा यह कथन कि उसने उक्त स्थान पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, स्वीकारोक्ति का भाग होने के कारण साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है; ग्राह्य केवल इतना है कि अभियुक्त उक्त स्थान का संकेत कर सकता है। घटनास्थल का संकेत मात्र, जब उसके समर्थन में न तो स्वयं पीड़िता का कथन उपलब्ध है, न ही उसने अभियुक्त की पहचान की है, न परिवादी ने अभियोजन का समर्थन किया है, और न ही चिकित्सकीय अथवा अन्य स्वतंत्र साक्ष्य अभियोजन के कथन की पुष्टि करते हैं, तब अपने आप में अपराध सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता। धारा 27 के अंतर्गत प्राप्त यह परिस्थिति केवल सहायक प्रकृति की है और स्वतंत्र रूप से दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। फलतः अभियोजन के अन्य साक्ष्यों के पूर्णतः विफल हो जाने की स्थिति में मात्र उक्त सूचना एवं उसके आधार पर तैयार घटनास्थल के नक्शे के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना विधिसम्मत नहीं होगा।

14. उपर्युक्त समस्त साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन का मूल आधार स्वयं परिवादी एवं पीड़िता के कथनों पर आधारित था, किन्तु दोनों ही न्यायालय में अभियोजन की कहानी से पूर्णतः विमुख हो गए तथा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का स्पष्ट खण्डन किया। अभियोजन के अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन के आरोपों की पुष्टि करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें बलपूर्वक यौनाचार अथवा प्रतिरोध के अनुरूप कोई चोट परिलक्षित नहीं हुई। मात्र सम्भोग की संभावना व्यक्त किया जाना, बलात्कार के अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, अभिलेख पर यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य पूर्व से आर्थिक विवाद एवं शत्रुता विद्यमान थी तथा पीड़िता के घर छोड़कर जाने का एक वैकल्पिक कारण भी अभियोजन साक्ष्य से उभरकर सामने आया है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न केवल परस्पर असंगत एवं अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं, बल्कि वे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहते हैं।

15. दण्ड विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्त का अपराध

संदेह से परे सिद्ध करना होता है तथा यदि साक्ष्यों से दो संभावित दृष्टिकोण उभरते हों, तो अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायोचित होता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के प्रमुख साक्षी, स्वयं पीड़िता एवं परिवादी, अभियोजन का समर्थन नहीं करते हैं, चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन के कथन की पुष्टि नहीं करता तथा अन्य परिस्थितियाँ अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं। अतः इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366 एवं 376 डी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

-आदेश-

16. अभियुक्त करणसिंह पुत्र भूरालाल निवासी पीपली का पुरा काला खाना पी.एस. सदर हिण्डौन सिटी जिला करौली राज. को धारा 366, 376 डी भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय में अपनी उपस्थिति हेतु धारा 437 ए की पालना में 5-5 हजार रुपये के जमानत-मुचलके पेश करें। अभियुक्त के इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावें।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-02,
गंगापुर सिटी

17. निर्णय आज दिनांक 15.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-02,
गंगापुर सिटी